अन्तिम डिक्री

(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)

(civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (अजमेर)

व इजलास श्रीमती निशा सहारण (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 44/2011 नवीन मु.नं. 45/2020

1. श्रीमति मैना दाधीच पत्नि श्री मुकुट बिहारी दाधीच जाति ब्राह्मण निवासी केयर ऑफ चोईस कोर्नर सिटी रोड रिद्धी सिद्धी समारोह स्थल के सामने,मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राज.। वादीया

बनाम

1. रामलाल वल्द माधु जाति जाट निवासी अरांई तहसील अरांई
2. रामकिशन वल्द श्योचन्द जाति जाट बालिग निवासी अरांई
3. श्रीमति पारसी देवी पत्नि बाबू लाल जाति जोगी बालिग अरांई
4. श्रीमति कैलाशी पत्नि मदनलाल जाति जोगी बालिग अरांई तहसील अरांई
5. श्रीमति नन्दू पत्नि शंकरनाथ जाति जोगी बालिग निवासी अरांई तहसील अरांई
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई
7. श्रीमति केसर देवी पत्नि रायचन्द जाति जाट बालिग
8. श्रीमति सोरती देवी पत्नि किशनलाल जाति जाट बालिग
9. श्रीमति मनोहर देवी पत्नि रामधन जाति जाट बालिग
   09/1 कोशल्या देवी पुत्री रामधन जाट निवासी नोनन्दपुरा
   09/2 अन्कार पुत्री रामधन जाट निवासी निवासी नोनन्दपुरा
10. बालु पुत्र धूला जाति जाट निवासी नोनन्दपुरा
11. काना पुत्र रामचन्द्र जाट निवासी नोनन्दपुरा
12. छितर पुत्र नन्दा जाट निवासी नोनन्दपुरा
13. घीसा पुत्र सोनी जाति जाट निवासी नोनन्दपुरा
14. विश्राम पुत्र गोलु जाट निवासी नोनन्दपुरा
15. रामरतन पुत्र गोविन्द जाति जाट निवासी नोनन्दपुरा
16. मेवा देवी पत्नि रंगनाथ जाति जोगी निवासी नोनन्दपुरा
17. कैलाश पुत्र रामधन जाति जाट निवासी नोनन्दपुरा
18. छगनी पत्नि रामधन जाति जाट निवासी नोनन्दपुरा
19. नोसर पत्नि रामलाल जाति जाट निवासी नोनन्दपुरा
20. समीत्रा पुत्री रामधन जाति जाट निवासी नोनन्दपुरा
21. मनोहर पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी नोनन्दपुरा

सहायक कलक्टर
अरांई

22. बोदू पुत्र धूला जाति जाट निवासी नोनन्दपुरा
23. बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय, शाखा कटसुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज.
—प्रतिवादीगण

दावा बाबत :— धारा 53,188 राज.का. अधि.1955
मुकदमा नम्बरः— 44/2011, नवीन 45/2020
निर्णय दिनांकः— 24.04.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में जारी बंटवारा आदेश व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.01.2012 के संबंध में मौका कमिश्नर तहसीलदार अराई द्वारा ग्राम नोनन्दपुरा हाल शंकरपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान स्थित वाद अधीन भूमि खसरा संख्या 276/11/2 रकबा 137 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 87 का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी तथा वकील प्रतिवादी की सहमति के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री की जाती है। कमीश्नर रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा किया जाता है उक्त बंटवारे में कमीश्नर रिपोर्ट एवम् संलग्न मानचित्र अन्तिम डिक्री का एक भाग होगा। तहसीलदार अरांई द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर वाद अधीन भूमि का निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है—

क्र. सं	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म बारानी01	बारानी02	बंजर01	लगान	रंग
1.	मैना दाधीच पत्नि मुकुट बिहारी दाधीच कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार हिस्सा 7767/71240	276/11/10	14 बीघा 19 बीस्वा	05 बीघा 18 बीस्वा	18 बीस्वा	8 बीघा 03 बीस्वा	4.94	नीला
2.	रामलाल पुत्र माधु जाति जाट निवासी अरांई हिस्सा 1/15	276/11/01	09 बीघा 03 बीस्वा	03 बीघा 12 बीस्वा	00 बीघा 11 बीस्वा	05 बीघा	03.03	लाल
3.	रामकिशन पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी अरांई हिस्सा 01/15	276/11/02	09 बीघा 03 बीस्वा	03 बीघा 12 बीस्वा	00 बीघा 11 बीस्वा	05 बीघा	03.03	भूरा
4.	रामधन पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी अरांई हिस्सा 01/15	276/11/03	09 बीघा 03 बीस्वा	03 बीघा 12 बीस्वा	00 बीघा 11 बीस्वा	05 बीघा	03.03	आसमानी नीला
5.	रामधन पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी अरांई हिस्सा 24/137	276/11/04	24 बीघा	09 बीघा 10 बीस्वा	01 बीघा 09 बीस्वा	13 बीघा 01 बीस्वा	07.94	केसरिया

सहायक कलक्टर
अरांई

	लाश देवी पत्नि दनलाल जाति ोगी हिस्सा 01/13	276/11/05	10 बीघा 10 बीस्वा	04 बीघा 04 बीस्वा	00 बीघा 13 बीस्वा	05 बीघा 13 बीस्वा	03.49	काला
	नन्दू पत्नि शंकरनाथ व मेवा पत्नि रंगानाथ कोम जोगी हिस्सा 11/137	276/11/06	11 बीघा	04 बीघा 07 बीस्वा	00 बीघा 14 बीस्वा	05 बीघा 19 बीस्वा	03.64	हरा
8.	काना वल्द रामचन्द्र, बालु वल्द धुला,छीतर वल्द नन्दा,घीसा वल्द सोनी,विश्राम वल्द गोलु,रतना वल्द गोविन्द हिस्सा 16640/71240 कौम जाट	276/11/07	32 बीघा	12 बीघा 15 बीस्वा	01 बीघा 19 बीस्वा	17 बीघा 06 बीस्वा	10.59	गुलाबी
9.	पारसी पत्नि बाबूलाल कौम जोगी हिस्सा 1/16	276/11/08	08 बीघा 11 बीस्वा	03 बीघा 08 बीस्वा	00 बीघा 10 बीस्वा	04 बीघा 13 बीस्वा	02.83	बैंगनी
10.	केसर पत्नि रायचन्द,सोरती पत्नि किशनलाल,कौशल्या पुत्री मनोहर एवं अनकाष पुत्री मनोहर हिस्सा 1/16	276/11/09	08 बीघा 11 बीस्वा	03 बीघा 08 बीस्वा	00 बीघा 10 बीस्वा	04 बीघा 13 बीस्वा	02.83	गहरा हरा

असप्त मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.05.2024 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित किया गया।

सहायक कलक्टर
अराई

न्यायालय सहायक कलक्टर अरांई (अजमेर)

प्रकरण संख्या 44/2011 नवीन मु.नं. 45/2020

1.श्रीमति मैना दाधीच पत्नि श्री मुकुट बिहारी दाधीच जाति ब्राह्मण निवासी केयर ऑफ चोईस कोर्नर सिटी रोड रिद्धी सिद्धी समारोह स्थल के सामने,मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राज.
वादीया

बनाम

1.रामलाल वल्द माधु जाति जाट निवासी अरांई तहसील अरांई
2. रामकिशन वल्द श्योचन्द जाति जाट बालिग निवासी अरांई
3. श्रीमति पारसी देवी पत्नि बाबू लाल जाति जोगी बालिग अरांई
4. श्रीमति कैलाशी पत्नि मदनलाल जाति जोगी बालिग अरांई तहसील अरांई
5. श्रीमति नन्दू पत्नि शंकरनाथ जाति जोगी बालिग निवासी अरांई तहसील अरांई
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई
7. श्रीमति केसर देवी पत्नि रायचन्द जाति जाट बालिग
8. श्रीमति सोरती देवी पत्नि किशनलाल जाति जाट बालिग
9. श्रीमति मनोहर देवी पत्नि रामधन जाति जाट बालिग
9/1 कोशल्या देवी पुत्री रामधन जाट निवासी नोनन्दपुरा
9/2 अन्कार पुत्री रामधन जाट निवासी निवासी नोनन्दपुरा
10. बालु पुत्र धूला जाति जाट निवासी नोनन्दपुरा
11. काना पुत्र रामचन्द्र जाट निवासी नोनन्दपुरा
12. छितर पुत्र नन्दा जाट निवासी नोनन्दपुरा
13. घीसा पुत्र सोनी जाति जाट निवासी नोनन्दपुरा
14. विश्राम पुत्र गोलु जाट निवासी नोनन्दपुरा
15. रामरतन पुत्र गोविन्द जाति जाट निवासी नोनन्दपुरा
16. मेवा देवी पत्नि रंगनाथ जाति जोगी निवासी नोनन्दपुरा
17. कैलाश पुत्र रामधन जाति जाट निवासी नोनन्दपुरा
18. छगनी पत्नि रामधन जाति जाट निवासी नोनन्दपुरा
19. नोसर पत्नि रामलाल जाति जाट निवासी नोनन्दपुरा
20. समोवा पुत्री रामधन जाति जाट निवासी नोनन्दपुरा
21. मनोहर पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी नोनन्दपुरा
22. बोदू पुत्र धूला जाति जाट निवासी नोनन्दपुरा
23. बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय, शाखा कटसुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज.
—प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
अरांई

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

1. संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादीगण की और से वकील श्री अमिताभ जी चौधरी ने हस्तगत प्रकरण अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत उपखण्ड न्यायालय किशनगढ में पेश किया जो दिनांक 21.04.2008 को जांच बाद दर्ज रजिस्टर क्रमांक 84/2008 पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई। उक्त प्रकरण नवगठित उपखण्ड न्यायालय अराईं में उपखण्ड न्यायालय किशनगढ से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पुनः 45/2020 पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद में वादीगण की और से वकील वादी श्री अमिताभ जी ने दावा किया कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम नोनन्दपुरा पटवार हल्का मोतीपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज. में स्थित है जिसके खाता संख्या नया 88 पुराना 82 के खसरा संख्या 276/11/2 रकबा 137 बीघा(अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063) में वादी का 7767/71240 हिस्सा निहित है व प्रतिवादीगण उक्त भूमि में सहखातेदार है। उक्त वर्णित भूमि में क्रय करते समय वादीया को विक्रेता ने निम्नानुसार कब्जा संभला दिया था। पूर्व में रामधन व अन्य की जमीने, पश्चिम में किशनलाल जाट पुत्र रामकरण की भूमि, उत्तर में अरांई से सिरोंज जाने वाली सडक,दक्षिण में पारसी देवी पत्नि बाबूलाल जोगी की जमीन जिसका नजरी नक्शा वाद के साथ प्रस्तुत है। यह है कि वादीया व प्रतिवादीगणों के मध्य आपसी समझाईस से अपने अपने हिस्सेनुसार काश्त हो रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में अलग अलग हिस्सा का इन्द्राज नहीं है। और न ही अलग अलग खाते या खसरे बने हुयें है। वादीया अपने स्तर पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 व 08 लगायत 16 से सम्पर्क कर कई बार राजस्व रिकार्ड में विधिक विभाजन बाबत निवेदन कर चुकी है लेकिन प्रतिवादीगण एकमत नहीं हो पातें हैं। जिसके कारण भूमि का विभाजन नहीं हो पा रहा है। वकील वादी ने जरिये वाद पत्र निवेदन किया कि वाद वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण मय हर्जा खर्चा डिक्री किया जाकर ग्राम नोनन्दपुरा पटवार क्षेत्र मोतीपुरा तहसील किशनगढ स्थित खसरा संख्या 276/11/2 में से वादीया का विधीनुसार हिस्सा विभाजित किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करावें।
2. उक्त वाद में दिनांक 21.04.2008 को वादपदों के स्थिरीकरण के लिये प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 को नोटिस जारी किये गये जिस क्रम में दिनांक 26.05.2008 को प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुये। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 व 06 की और से हुक्मीचन्द सेठी ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 03.06.2008 को वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. पेश किया जिस पर वकील प्रतिवादी ने अनापत्ति व्यक्त की जिसके कारण नवीन प्रतिवादीगणों का संशोधित उनवान वकील वादी द्वारा पेश किया गया। बाद तलबी शेष प्रतिवादीगणों के पत्रावली दिनांक 16.06.2008 को पेश हुई। जिसपर प्रतिवादी संख्या 17 की और से वकील श्री महेश ने अन्डरटेकिंग ली। दिनांक 30.06.2008 को प्रतिवादी संख्या 11 से 15 की और से वकील श्री रविकान्त शर्मा उप. हुये दिनांक 26.07.2008 को प्रतिवादी संख्या 11 से 15 की और से वकील श्री रविकान्त ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 16 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 07.11.2008 को प्रतिवादी संख्या 01 से 03 व 06,16 व 17 का सहमति में जवाब प्राप्त हुआ। दिनांक 25.10.2010 को पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई।
3. दिनांक 13.12.2010 को वादीया की और से वकील श्री चालक सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 09 नियम 09 व्य.प्र.स. पेश किया गया जिस पर वकील वादी की बहस सुनकर दिनाक 23.02.2011 को वाद

सहायक कलक्टर
अराईं

पुनः रिस्टोर किया गया जिसके नवीन नम्बर 44/2011 दर्ज किये गये तथा प्रतिवादीगणों की तलबी करवाई गई। दिनांक 24.11.2011 को वकील वादी द्वारा दिनांक 21.11.2011 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. को विड्राल करने से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। दिनांक 09.12.2011 को प्रतिवादी संख्या 04,05,08,09,10 का जवाब बन्द किया गया। दिनांक 05.01.2012 को वादी की साक्ष्य ली गई तथा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 01 :– जमाबन्दी खाता संख्या नया 88 पुराना 82 खसरा संख्या 276/11/2,, प्रदर्श02 A :– विक्रय पत्र दिनांक 03.01.2007 प्रदर्श 03 :– विशेष अधिकार पत्र पर प्रदर्श अंकन करवाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

4. दिनांक 14.02.2012 को कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा उसी दिनांक को वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. पेश किया जिसमें उन्होंने निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 11 से 15 ने अपने हिस्से की भूमि का किसी और को बेचान कर दिया है जिससे क्रेताओं को पक्षकार बनाना आवश्यक है। वकील वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा वकील वादी द्वारा संशोधित उनवान व तलवाना प्रस्तुत किया गया। बाद प्रतिवादी संख्या 11 से 15 की तलबी होकर पत्रावली दिनांक 23.02.2012 को पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 11 से 15 की ओर से वकील श्री लक्ष्मीनारायण जी ने वकालतनामा पेश किया। साथ ही वकील प्रतिवादी ने बंटवारा प्रस्ताव पर आपति प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः बटवारा प्रस्ताव पेश करने बाबत पेश किया।

5. दिनांक 27.08.2012 को वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. पेश किया जिसे दिनांक 08.11.2012 को स्वीकार करते हुये बोदू पुत्र धूला जाट को पक्षकार बनाया गया जिसकी पालना में वकील वादी द्वारा संशोधित उनवान पेश किया गया। दिनांक 15.06.2018 को प्रतिवादी संख्या 10 मनोहर देवी के फौत होने से उसका कायम मुकाम सम्मन हेतु समय चाहा । उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 03.01.2020 को वकील प्रतिवादी द्वारा अनापत्ति व्यक्त करते हुये स्वीकार कर लिया गया। जिसपर वकील वादी द्वारा दिनांक 09.04.2021 को प्रतिवादी संख्या 10 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु कायम मुकाम सम्मन व संशोधित उनवान पेश किया गया। बाद तलबी एल.आर. 09/1 व 09/2 होकर पत्रावली दिनांक 03.09.2021 को पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 व 06 व 16 तथा 17 व 11 से 15 का जवाब सहमति में प्राप्त हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 04, 05, 08, 09,10 के विरूद्व पूर्व मे एक पक्षीय कि कार्यवाही की जा चुकी हैं एवं दिनांक 31.12.2021 को प्रतिवादी संख्या 11 से 15 व 9/1 व 9/2 का जवाब बन्द किया जा चुका है। दिनांक 14.02.2012 को तहसीलदार अराईं द्वारा प्राथमिक डिक्री व आदेश दिनांक 05.01.2012 की पालना में अप्रार्थीगणों व प्रार्थीगणों की उपस्थिती में बटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दिनांक 15.12.2023 को प्रार्थना पत्र दिनांक 05.03.2012 को खारिज किया गया तथा दिनांक 23.01.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकार किया गया तथा संशोधित वाद पत्र रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 22.04.2024 को वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई।

6. अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार वाद पत्र में वर्णित ग्राम नोनन्दपुरा हाल शंकरपुरा स्थित कृषि भूमि तत्कालीन खसरा संख्या 276/11, तत्पश्चात खसरा संख्या 276/11/2 हाल खसरा संख्या 87 रकबा 137 बीघा का वादी व प्रतिवादीगणों के मध्य राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 08.02.2012 के अनुसार बंटवारा किया जाता है। बैंक का रहन यदि किसी खातेदारान ने जमा नहीं करवाया है तो वह उसके हिस्से तक ही रहेगा। यदि कोई पक्षकार मृत हो गया हो उसका हिस्सा नियमानुसार नामान्तरणकरण खोला जाकर उसके विधिक वारिसान के नाम दर्ज किया जावे। प्राथमिक डिक्री एवं बंटवारा प्रस्ताव में तत्समय जो खातेदार/पक्षकार थे उनके द्वारा यदि किसी प्रकार का हस्तान्तरण किया गया है तो नवीन खातेदार का अंकन इस आदेश में दर्शित पूर्व खातेदार के स्थान

सहायक कलक्टर
अराँई

किया जावे तथा तदनुसार राजस्व नक्शे में पूर्व खातेदार के स्थान पर नवीन खातेदार के हिस्से का
कन किया जावे। तहसीलदार अरांई को आदेश पालना हेतु तहरीर जारी हो।

	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म			लगान	रंग
				बारानी01	बारानी02	बंजर01		
	मैना दाधीच पत्नि मुकुट बिहारी दाधीच कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार हिस्सा 7767 / 71240	276 / 11 / 10	14 बीघा 19 बीस्वा	05 बीघा 18 बीस्वा	18 बीस्वा	8 बीघा 03 बीस्वा	4.94	नीला
2.	रामलाल पुत्र माधु जाति जाट निवासी अरांई हिस्सा 1 / 15	276 / 11 / 01	09 बीघा 03 बीस्वा	03 बीघा 12 बीस्वा	00 बीघा 11 बीस्वा	05 बीघा	03.03	लाल
3.	रामकिशन पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी अरांई हिस्सा 01 / 15	276 / 11 / 02	09 बीघा 03 बीस्वा	03 बीघा 12 बीस्वा	00 बीघा 11 बीस्वा	05 बीघा	03.03	भूरा
4.	रामधन पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी अरांई हिस्सा 01 / 15	276 / 11 / 03	09 बीघा 03 बीस्वा	03 बीघा 12 बीस्वा	00 बीघा 11 बीस्वा	05 बीघा	03.03	आसमानी नीला
5.	रामधन पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी अरांई हिस्सा 24 / 137	276 / 11 / 04	24 बीघा	09 बीघा 10 बीस्वा	01 बीघा 09 बीस्वा	13 बीघा 01 बीस्वा	07.94	केसरिया
6.	कैलाश देवी पत्नि मदनलाल जाति जोगी हिस्सा 01 / 13	276 / 11 / 05	10 बीघा 10 बीस्वा	04 बीघा 04 बीस्वा	00 बीघा 13 बीस्वा	05 बीघा 13 बीस्वा	03.49	काला
7.	नन्दू पत्नि शंकरनाथ व मेवा पत्नि रंगानाथ कोम जोगी हिस्सा 11 / 137	276 / 11 / 06	11 बीघा	04 बीघा 07 बीस्वा	00 बीघा 14 बीस्वा	05 बीघा 19 बीस्वा	03.64	हरा

सहायक कलक्टर
अरांई

	...ना वल्द रामचन्द्र, ...लु वल्द धुला,छीतर ...ल्द नन्दा,घीसा वल्द सानी,विश्राम वल्द गोलु,रतना वल्द गोविन्द हिस्सा 16640/71240 कौम जाट	276/11/07	32 बीघा	12 बीघा 15 बीस्वा	01 बीघा 19 बीस्वा	17 बीघा 06 बीस्वा	10.59	गुलाबी
9.	पारसी पत्नि बाबूलाल कौम जोगी हिस्सा 1/16	276/11/08	08 बीघा 11 बीस्वा	03 बीघा 08 बीस्वा	00 बीघा 10 बीस्वा	04 बीघा 13 बीस्वा	02.83	बैंगनी
10.	केसर पत्नि रायचन्द,सोरती पत्नि किशनलाल,कौशल्या पुत्री मनोहर एवं अनकार पुत्री मनोहर हिस्सा 1/16	276/11/09	08 बीघा 11 बीस्वा	03 बीघा 08 बीस्वा	00 बीघा 10 बीस्वा	04 बीघा 13 बीस्वा	02.83	गहरा हरा

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिंनाक २५.०५.२०२५ को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

सहायक कलक्टर
अराई